



# संशोधित डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी  
व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादी

1. खरताराम पुत्र मोहन  
जाति मेगवाल निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहन पुत्र मेहरा
2. ओमप्रकाश पुत्र मोहन
3. सांवताराम पुत्र मोहन
4. जगदीश पुत्र मोहन
5. चैनाराम पुत्र मोहन उम्र 16 वर्ष नाबालिग की वली माता केकू पत्नी मोहन  
जाति मेगवाल निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत :- 88, 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :- 27 / 2015

निर्णय दिनांक :- 12.11.2016

(संशोधित निर्णय-16.5.2022)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्ई व रामजीवन विश्णोई मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा राजस्व ग्राम बाण्ड के खसरा नम्बर 58/1, 478, 64/14 व ग्राम सिलोयों की बेरी के खसरा नम्बर 658/5 का प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	लगान	बरंग
1	खरताराम पुत्र मोहन कौम मेगवाल साठ बाण्ड	बाण्ड	58/1	0.4613	0.13	आसमानी
			64/14	0.1700	0.05	
			478	0.2023	0.08	
			सियोलों की बेरी	658/5	0.4209	
	योग	04	1.2545	0.39		
2	मोहन पुत्र मेहरा 1/5 हि. ओमप्रकाश, सावताराम, जगदीश, चैनाराम पि० मोहन 4/5 कौम मेगवाल साठ बाण्ड	बाण्ड	58/1	2.2825	0.67	गुलाबी
			64/14	0.8822	0.26	
			478	1.0198	0.40	
			सियोलों की बेरी	658/5	2.0881	
	योग	04	6.2726	1.95		

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/11/2022 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) गुडामालानी

दिनांक :

क्रमांक: वाचक / 2022 /

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) गुडामालानी